

42  
MAIL

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश**  
**17, अरेरा हिल्स, भोपाल**

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स- 0755- 2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/ 4579  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2.6.2012

कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषय: फोटो निर्वाचक नामावली के डोर टू डोर सर्वे की अवधि बढ़ाने बाबत ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 15 अप्रैल, 2012 से 31 मई, 2012 तक डोर-टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 11.5.2012 को उप चुनाव आयुक्त के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कतिपय जिलों द्वारा डोर-टू डोर सर्वे की तिथि बढ़ाने का निवेदन किया जिसके अनुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 23/एम पी/2012 दिनांक 25.5.2012 की छाया प्रति संलग्न है। जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे के कार्य को 15 जून तक किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस दौरान आपको निम्नांकित कार्य तत्परता तथा निरन्तर समीक्षा के साथ समयसीमा में पूर्ण कराने हैं :-

- (1) डोर टू डोर सर्वे के दौरान 1.1.2012 की अर्हता तिथि अनुसार वोटर लिस्ट में छूटे हुये आमजनों का चिन्हांकन ।
- (2) छूटे हुये पात्र आमजनों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये पूर्ण फार्म-6 की प्राप्ति
- (3) जिन आवेदन पत्रों में फोटोग्राफ नहीं है उनके फोटोग्राफ प्राप्त करने का कार्य ।
- (4) निर्वाचक नामावली में ऐसे मतदाता जिनके फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है। उनके फोटोग्राफ प्राप्त करने का कार्य ।
- (5) प्राप्त फार्मों का विधिवत एवं नियमानुसार निराकरण के लिये बी एल ओ से प्रतिदिन फार्म एकत्रित करना ERMS में एन्ट्री करना चेकलिस्ट निकालकर बी एल ओ से जांच कराकर अंतिम निर्णय लेना ।

6. फार्म पर लिये निर्णय की सूचना आवेदक को भिजवाना ।
7. ERMs में फार्म के निराकरण की प्रगति दर्ज करना ।
8. EPIC बनाकर वितरण करवाना ।

कृपया उक्त कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा अपनी प्रगति URL -<http://10.131.19.89/doortodoorsurvey> पर अंकित करें तथा डाटा एन्ट्री एवं आवेदनों का

निराकरण आन लाईन ई आर एम एस सिस्टम में अनिवार्यतः कराना सुनिश्चित करें । साथ ही आपके जिले की प्रगति से इस कार्यालय का अवगत करायें ।

( एस.एस. बंसल )

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2:06.2012

फा. क्र. 01/2013/3/ 4580  
प्रतिलिपि-

संभागायुक्त समस्त मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

( एस.एस. बंसल )

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

FAX NO. : 23052022

25 May 2012 4:16PM P1

161

**By Fax/ Speed post**  
**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110 001**

No. 23/MP/2012

Dated: 25<sup>th</sup> May, 2012

To

The Chief Electoral Officer,  
Madhya Pradesh,  
Bhopal.

Subject: - Extending the period of Door to Door survey of Photo Electoral Rolls -  
regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 01/2012/3/3947 dated 16<sup>th</sup>  
May, 2012 on the above subject and to confirm that the proposal has been approved.

Yours faithfully,

M Kumar  
(MUKESH KUMAR)  
For UNDER SECRETARY

lko  
path

5